रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2017/माघ 25, 1938
No. 374] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2017/MAGHA 25, 1938

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

(आवास प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2017

का.आ.413(अ).— यत: भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 20 की उप-धारा (1) के तीसरे परंतुक में यह व्यवस्था है कि विनियामक प्राधिकरण का गठन किए जाने तक, समुचित सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत प्रयोजनों हेतु किसी विनियामक प्राधिकारी अथवा विनियामक प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी को नामित करेगी;

और यत: केन्द्र सरकार, अधिनियम की धारा 2 के खंड (छ) के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत समुचित सरकार है;

अत: अब, केन्द्र सरकार इस अधिनियम की धारा 20 की उप धारा (1) के तीसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु प्रधान सचिव, शहरी विकास, अंडमान और निकोबार प्रशासन को विनियामक प्राधिकारी के रूप में एतद्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. ओ-17034/18/2009-एच]

राजीव रंजन मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(HOUSING DIVISION)

ORDER

New Delhi, the 13th February, 2017

S.O.413(E).—Whereas, the third proviso to sub-section (1) of section 20 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) (hereinafter referred to as the Act) stipulates that until the establishment of a Regulatory Authority, the appropriate Government shall designate any Regulatory Authority or any officer as the Regulatory Authority for the purposes under the Act;

And Whereas, the Central Government is the appropriate Government under the Act for the Union territory of Andaman & Nicobar Islands in terms of clause (g) of Section 2 of the Act;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (1) of section 20 of the Act, the Central Government hereby designates Principal Secretary, Urban Development, Andaman & Nicobar Administration as the Regulatory Authority, for the purposes of the Act.

[F. No. O-17034/18/2009-H]

RAJIV RANJAN MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.02.15 16:27:38 +05'30'